

मुकदमों का विवरण

कमल

वी.

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 465) अगस्त 07,2023

[बी. आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: अभियोजन पक्ष के एक मामले में जहां मृतक के शिकायतकर्ता-भाई ने पिता को मृत पाया था, और पिता और बेटे के बीच संपत्ति विवाद के कारण मृतक के बेटे पर संदेह पैदा हुआ था, और बेटे को घटना स्थल से हटा दिया गया था और दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, क्या नीचे की अदालतों को बेटे को दोषी ठहराने में न्यायसंगत ठहराया गया था। 302/34 भारतीय दण्ड संहिता सी. और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दंड संहिता, 1860 - धारा. 303 आर/डब्ल्यू 34-हत्या-परिवेशीय साक्ष्य और अंतिम बार देखा गया सिद्धांत-निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा आधार पर दोषसिद्धि-सच्चाई:

आयोजित किया गया: अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को साबित करने में विफलता क्योंकि उन्हें उचित संदेह से परे दोषपूर्ण परिस्थितियों को साबित करने की आवश्यकता है-संदेह कितना भी मजबूत हो, उचित संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता है-अदालत के समक्ष परीक्षण पहचान परेड की पवित्रता संदिग्ध है क्योंकि आरोपी पहले से ही पुलिस स्टेशन में गवाहों को दिखाए गए थे-अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के संबंध में साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय-कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स-सी. डी. आर. के बारे में साक्ष्य किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय और निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया-अपीलार्थीगण को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया-साक्ष्य। [पैरा 13,19,20 और 21]

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-इन शर्तों के आधार पर दोषसिद्धि-जिन्हें पूरा किया जाना है:

आयोजित किया गया: जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए-इस तरह से साबित तथ्य केवल सुसंगत होने चाहिए

[2023] 11 एस सी आर।

अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के साथ, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है-परिस्थितियाँ एक निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और उन्हें हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए सिवाय उस परिकल्पना के जिसे साबित करने की कोशिश की गई हो-सबूतों की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए ताकि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जा सके।[पैरा 18]

साक्ष्य-हत्या का मामला-मजबूत संदेह के आधार पर दोषसिद्धि-इसकी शुद्धता -

आयोजित किया गया:संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता है।[पैरा 19]

साक्ष्य-अंतिम बार देखा गया सिद्धांत-इस पर भरोसा:

आयोजित किया गया:अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के संबंध में साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं।[पैरा 20]

साक्ष्य-कॉल डिटेल् रिकॉर्ड्स-इस पर भरोसा:

आयोजित किया गया:कॉल विवरण अभिलेखों के संबंध में साक्ष्य किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।[पैरा 20]

परीक्षण पहचान पत्र परेड-साक्ष्य मूल्य, जब आरोपी पहले से ही पुलिस स्टेशन में गवाहों को दिखा चुका होता है:

आयोजित किया गया:न्यायालय के समक्ष परीक्षण पहचान पत्र परेड की पवित्रता संदिग्ध है।
[पैरा 13]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी

116 :[1985] 1 एस. सी. आर. 88-निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2017 की आपराधिक अपील संख्या 465।

2013 के सी. आर. एल. ए. संख्या 1136 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 05.08.2014 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की आपराधिक अपील संख्या 2295।

कमल बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

रूप:

श्रीमती के. शारदा देवी, सुश्री खेयाली सिंह, आर. के. कपूर, सुश्री श्वेता कपूर, सुश्री सरबजीत कौर, रजत कपूर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, सुश्री प्रतीक्षा मिश्रा, सुश्री रोनिका टेटर, सुश्री रूपक्षी सोनी, दिविक माथुर, निखिल चंद्र जैसवाल, सिमरजीत सिंह सलूजा, A.K.Panda, सुश्री सुनीता शर्मा, सुश्री निधि खन्ना, धनंजय महापात्रा, नूर रामपाल, डॉ. एन. विशाखामूर्ति, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्याय

बी. आर. गवई, जे.

1. एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न अपील में अनुमति दी गई। 2021 का सं. 6213। 2.अपीलों में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1242,936 और 1136 में पारित 5 अगस्त 2014 के फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है, जिससे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II (उत्तर-पश्चिम), रोहिणी अदालतों, दिल्ली (जिसे इसके बाद 'निचली अदालत' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित 17 मई 2013 के फैसले और आदेश को लागू किया गया है, जिसके अनुसार निचली अदालत ने मूल तीन अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।3. अभियोजन पक्ष की कहानी, विवरणों से भरी हुई, इस प्रकार है:

3.1 10 सितंबर 2009 को लगभग 1 बजे, शिकायतकर्ता-सूरत सिंह, मृतक होशियार सिंह का भाई, मृतक के घर आया और उसे खाट पर मृत पाया।इस बीच उनके बड़े भाई जय सिंह (पीडब्लू-20) भी मौके पर पहुंचे।मृतक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

3.2 प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में, 'एफ. आई. आर.') मृतक के बेटे प्रेम सिंह पर संदेह व्यक्त करते हुए दर्ज की गई, क्योंकि उसका मृतक के साथ संपत्ति का विवाद था।यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि पहले भी आरोपी ने मृतक को पीटा था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

3.3 यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि प्रेम सिंह घटना स्थल से भाग गया और 12 सितंबर 2009 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, उसने अपने सहयोगियों कमल किशोर और मनोज, वर्तमान अपीलार्थीगण के नामों का खुलासा किया। इसके बाद, अपीलार्थीगण को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कमल किशोर के कहने पर एक जंग लगी लोहे की छड़ बरामद की गई। आरोपी मनोज के कहने पर एक स्वेटर बरामद किया गया जिसका इस्तेमाल मृतक का गला घोटने के लिए किया गया था।

3.4 अनुसंधान पूरा होने पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायालय में तीनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामला सत्र न्यायाधीश को सौंप दिया गया था। निचली अदालत ने 17 मई 2013 के फैसले और आदेश के माध्यम से सभी तीन अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

3.5 तीनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 5 अगस्त 2014 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उनकी सभी अपीलों को खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपीलें।

4. हमने अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. कपूर और सुश्री के. शारदा देवी और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सोनिया माथुर और श्री ए. के. पांडा को सुना है। 5. श्री कपूर ने कहा कि वर्तमान मामला परिस्थितिजनक साक्ष्य का मामला है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक अभियोजन परिस्थितियों का एक अटूट संबंध स्थापित नहीं करता है, तब तक परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की अनुमति नहीं है।

6. श्री कपूर ने कहा कि अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से जय सिंह (पीडब्लू-20) और नरेश कुमार (पीडब्लू-21) की गवाही पर निर्भर करता है।

7. इसके विपरीत, सुश्री माथुर और श्री पांडा ने कहा कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने साथ-साथ, साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर, अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान अपीलों में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

8. जहां तक नरेश कुमार (पीडब्लू-21) का संबंध है, वह कहता है कि घटना की तारीख को, लगभग आईडी 1 बजे, उसने देखा कि आरोपी प्रेम सिंह मृतक होशियार सिंह के कमरे के सामने अपने वाहन टोयोटा क्वालिस में मौजूद था, और अपने वाहन के त्वरक को लगातार दबा रहा था और वाहन की आवाज को तेज कर रहा था। कारण पूछे जाने पर 53

कमल बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [बी. आर. गवई, जे.]

उसी के लिए, आरोपी प्रेम सिंह ने जवाब दिया कि वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा था। पीडब्लू-21 आगे बताता है कि इस बीच, उसने दो लड़कों को मृतक होशियार सिंह के कमरे से बाहर निकलते देखा। जब पीडब्लू-21 ने आरोपी प्रेम सिंह से उन लड़कों के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया कि वे किरायेदार थे। पीडब्लू-21 बताता है कि, उसके बाद, वह गोपाल नगर में अपनी दुकान की ओर चला गया।

9. इसके अलावा, जाँच-इन-चीफ, पीडब्लू-21 में कहा गया है कि 16 सितंबर 2009 को पुलिस ने उसे मृतक होशियार सिंह के घर पर बुलाया था और वह वहाँ गया और देखा कि दो व्यक्ति, मनोज और कमल किशोर, पुलिस की हिरासत में थे। पीडब्लू-21 आगे बताता है कि पुलिस ने उसे बताया था कि उसने होशियार सिंह की हत्या की थी। इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है, और अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) द्वारा प्रतिपरीक्षा में, उसने इन दोनों व्यक्तियों की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की है जिन्हें उसने होशियार सिंह के घर से बाहर निकलते देखा था। हालांकि, एपीपी द्वारा आगे की जिरह में, उसने फिर से स्वीकार किया है कि उसने पहली बार 12 सितंबर 2009 को आरोपी व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में देखा है। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति था और उन्होंने उन्हें आरोपी मनोज के बारे में भी बताया। अंतिम बार देखे गए सिद्धांत का एक अन्य गवाह जय सिंह (पीडब्लू-20) है, जो मृतक होशियार सिंह का छोटा भाई है। उन्होंने नरेश कुमार (पीडब्लू-21) की तर्ज पर पदच्युत किया है।

10. जिरह में जय सिंह (पीडब्लू-20) की उपस्थिति को ध्वस्त करने की मांग की गई है। हालांकि, जाँच-प्रमुख में, वह कहता है कि वह और सूरत सिंह मृतक को अस्पताल ले गए थे, वह कहता है कि सूरत सिंह के कपड़े खून से लथपथ थे, लेकिन उनके कपड़े गंदे नहीं थे क्योंकि यह सूरत सिंह था जो वास्तव में होशियार सिंह को उठा रहा था और वह केवल अपने हाथों से उसकी मदद कर रहा था।

11. हालांकि जय सिंह (पीडब्लू-20) का कहना है कि उसने पुलिस को आरोपी के विवरण के बारे में सूचित किया था, यानी उसने पुलिस को बताया कि एक लड़का गोरा था और दूसरे का रंग गोरा था, लेकिन इसमें काफी सुधार हुआ है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान में ऐसा विवरण नहीं है। वह आगे कहता है कि उसका घर उस कमरे से 40 फीट दूर है जहाँ घटना हुई थी। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि उनके घर और होशियार सिंह के घर के बीच एक घर है। इस प्रकार, 54

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

पीडब्लू-20 की उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है। 12. यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने स्वयं नोट किया है कि नरेश कुमार (पीडब्लू-21) ने अपनी जिरह में कहा है कि उन्हें 12 सितंबर 2009 को पुलिस स्टेशन में कमल किशोर और मनोज को दिखाया गया था, जहां कविता और जय सिंह भी मौजूद थे और इसलिए, उनके द्वारा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) के लिए इनकार करना उचित था। उच्च न्यायालय यह टिप्पणी करता है कि जिन गवाहों ने कठघरे में अपीलार्थीगण की पहचान की है, वे यह ठहराने के लिए पर्याप्त हैं कि गवाहों द्वारा उनकी विधिवत पहचान की गई है और वे अभियुक्त के अपराध को साबित करते हैं।

13. हम इस तथ्य की शुद्धता की सराहना करने में विफल रहते हैं। यदि अभियुक्तों को पहले ही पुलिस स्टेशन में गवाहों को दिखाया जाता है, तो अदालत के समक्ष टी. आई. पी. की पवित्रता संदिग्ध है।

14. अभियोजन पक्ष जिन अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है, वे हैं कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (सी. डी. आर.)। निचली अदालतों ने इस परिस्थिति पर भरोसा किया है कि जब घटना हुई थी, तो आरोपी मनोज और कमल किशोर द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल के सीडीआर की पहचान से पता चलेगा कि उनका स्थान घटना स्थल पर था।

15. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोपी मनोज द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर 9278453468 में से एक मनोज के नाम पर नहीं है, बल्कि कानपुर के सुभाष नगर निवासी श्री कृष्ण कुमार के बेटे अशोक कुमार के नाम पर है। यह दिखाने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है कि उक्त सिम आरोपी मनोज के कब्जे में कैसे आया। इसके अलावा, अगर घटना के समय वे दोनों एक ही स्थान पर थे और अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक होशियार सिंह के घर के अंदर थे, और वे एक-दूसरे से टेलीफोन पर बात कर रहे थे, तो यह स्वयं अभियोजन पक्ष के बयान पर संदेह पैदा करता है।

16. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जो परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित है। शरद के मामले में परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के संबंध में कानून बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है।

बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1.

17. हम लाभप्रद रूप से इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। शरद बर्डहिचंद सारदा (ऊपर) के मामले में:

“151. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए और यह पक्ष की कमजोरी से कोई ताकत हासिल नहीं कर सकता है।

कमल बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [बी. आर. गवई, जे.]

रक्षा। यह एक तुच्छ कानून है और किसी भी निर्णय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया है। कुछ मामलों में जो हुआ है वह केवल यह है: जहां एक श्रृंखला में विभिन्न लिंक अपने आप में पूर्ण हैं, तो एक झूठी याचिका या एक झूठे बचाव को केवल अदालत को आश्वासन देने के लिए सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त लिंक का उपयोग करने से पहले यह साबित किया जाना चाहिए कि श्रृंखला में सभी लिंक पूर्ण हैं और किसी भी अनंतता से पर्याप्त नहीं हैं। यह कानून नहीं है कि जहां अभियोजन मामले में कोई असंवेदनशीलता या कमी है, उसे एक झूठे बचाव या एक याचिका द्वारा ठीक किया जा सकता है या प्रदान किया जा सकता है जिसे अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

.....

153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" साबित की जा सकती हैं। जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 793 में कहा था, "साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक कानूनी अंतर भी है। 1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1033:1973 सी. आर. एल. एल. जे. 1783] जहाँ अवलोकन किए गए थे: [एससीसी पैरा 19, पी. 807: एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी. 1047]

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।"

(2) इस प्रकार साबित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है, (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए, (4) उन्हें साबित होने वाली परिकल्पना के अलावा हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और 56

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

154. यदि हम ऐसा कहें तो ये सुनहरे सिद्धांत परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण के लिए पंचशील का गठन करते हैं।"18. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "साबित नहीं की जा सकती हैं।" यह माना गया है कि न केवल एक व्याकरणिक है, बल्कि "साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच एक कानूनी अंतर है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस प्रकार साबित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिस्थितियाँ एक निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और उन्हें साबित करने के लिए मांगी गई परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूरी हो कि आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य आरोपी द्वारा किया गया होगा। 19. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संदेह कितना भी मजबूत हो, यह उचित संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में, हमें वर्तमान मामले पर विचार करना होगा। 20. हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है क्योंकि उन्हें उचित संदेह से परे दोषपूर्ण परिस्थितियों को साबित करने की आवश्यकता है। अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के संबंध में साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं। सी. डी. आर. के संबंध में साक्ष्य भी ऐसा है जो किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। इस प्रकार, हम मानते हैं कि अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए। 21. परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है। 2013 की आपराधिक अपील संख्या 1242,936 और 1136 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 5 अगस्त 2014 को पारित निर्णय और आदेश और निचली अदालत द्वारा 17 मई 2013 को पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है।

22. अपीलार्थीगण को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। अपीलार्थीगण के जमानत बांड जारी किए जाएंगे।

23. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन